राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 72/2014/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
तृतीय, प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सोनू पुत्र श्री रणधीर सिंह,
गांव चिरसमी तह. गन्नौर जिला सोनीपत. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 11/01/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 274/अपील्स–I/आरवीएटी/जयपुर/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.10.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(9) के तहत पारित आदेश दिनांक 12.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर उक्त आदेश को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 12.09.2012 को वाहन संख्या एच.आर.69/ए–9776 को अजमेर–दिल्ली बाईपास पर चैक किया गया। वाहन में एल.डी.पी.ई. पोलीइथलीन ई.पी.ई. शीट्स परिवहनित की जा रही थी। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा उक्त माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनमें घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न नहीं पाया गया। इस बाबत जारी किये गये नोटिस की पालना में मैसर्स दक्ष एन्टरप्राईजेज, जयपुर द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेज को अस्वीकार करते हुए मैसर्स दक्ष एन्टरप्राईजेज के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत एवं प्रत्यर्थी वाहन चालक सोनू पुत्र रणधीर सिंह के विरूद्ध धारा 76(9) के तहत पृथक–पृथक शास्ति आरोपण के आदेश पारित किये गये। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेशों के

लगातार.....2

विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 29.10.2013 से स्वीकार की गयी, जिनके विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 72/2014 [अन्तर्गत धारा 76(9)] एवं अपील संख्या 74/2014 [अन्तर्गत धारा 76(6)] प्रस्तुत की गयी।

3. बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपील में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 29.08.2016 से राजस्व की अपील अस्वीकार की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में जब मूल शास्ति आदेश ही समाप्त हो चुका है तो मिलीभगत के आरोप में प्रत्यर्थी वाहन चालक पर आरोपित शास्ति स्वतः ही अपास्तनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि प्रत्यर्थी के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. यह निर्विवादित है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 12.09.2012 को वाहन संख्या एच.आर.69/ए–9779 की चैकिंग के पश्चात् वेट अधिनियम की धारा 76(6) एवं 76(9) के तहत पृथक–पृथक आदेश पारित किये गये। धारा 76(6) के प्रकरण से सम्बन्धित अपील माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 29.08.2016 से निस्तारित करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार की गयी है। ऐसी स्थिति में जब करापवंचन के आरोप में आरोपित शास्ति का मूल प्रकरण ही समाप्त हो चुका है तो करापवंचन में मिलीभगत के आरोप में पारित किया गया आदेश स्वतः अपास्तनीय है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष